

## आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमण्डल, गया

बैठक की कार्यवाही

आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2022 को बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 एवं R.T.E. Act - 2009 के शत-प्रतिशत अनुपालन से सम्बन्धित बैठक आहूत की गई। उपस्थिति पंजी के अनुसार निम्नांकित पदाधिकारी-राह-सदस्य उपस्थित हुए।

1. आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया-सह-अध्यक्ष।
2. ✓ क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमण्डल, गया-सह-सचिव।
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया-सह-सदस्य।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद-सह-सदस्य।
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद-सह-सदस्य।
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा-सह-सदस्य।
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल-सह-सदस्य।
8. प्राचार्य, क्रेन र्स्कूल, गया (नामित सदस्य)।
9. प्राचार्य, डी०पी०एस०, दुबहल, गया (नामित सदस्य)।
10. डॉ० संजीव कुमार पाण्डय (नामित सदस्य), एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट, ऑफ एजुकेशन, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमण्डल, गया-सह-सचिव, निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 एवं R.T.E. Act - 2009 द्वारा माननीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया-सह-अध्यक्ष निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) समिति का अभिनंदन करते हुए बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी-सह-सदस्य का परिचय कराया गया। तत्पश्चात् कार्यवाली के विभिन्न बिन्दुओं पर निम्न प्रकार निर्णय लिए गए :-

क्र०सं०	एजेंडा का विषय	सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय
1.	शुल्क का विनियमन	<p>क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा बताया गया कि किसी भी जिले से 7% से अधिक शुल्क बढ़ावदी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>किसी भी निजी विद्यालय द्वारा कक्षा/पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, मासिक अध्ययन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा पुस्तक, पाठ्य सामग्री, पोशाक, आवागमन का खर्च आदि को विद्यालय सूचना पट्ट पर एवं विद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>इस प्रकार निजी विद्यालय द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के शुल्क का व्योरा विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष का विद्यालय द्वारा आम लोगों की जानकारी देते हुए विद्यालय सूचना पट्ट एवं विद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>पूर्व शैक्षणिक वर्ष की तुलना में विद्यालय सभी प्रकार के शुल्क में अधिकतम 7% तक की वृद्धि स्वयं आवश्यकतानुसार कर सकता है। इसकी सूचना अभिभावक को उपलब्ध कराते हुए सूचना पट्ट पर एवं वेबसाइट पर देंगे का निर्णय लिया गया।</p> <p>किसी भी निजी विद्यालय द्वारा 7% से अधिक की वृद्धि का औचित को दर्शाते हुए कम से कम छः माह पूर्व जाँच एवं मंजूरी हेतु समिति को उपलब्ध करायेंगे और समिति से आदेश प्राप्त कर ही शुल्क वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>समिति के आदेश प्राप्त किये बिना यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा 7% से अधिक की वृद्धि की गई है की जाँच जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे का निर्णय लिया गया।</p>

ज्ञापांक : ६५५ / गया, दिनांक : १८ / ०६ / २०२२

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया/औरंगाबाद/नवादा/जहानाबाद एवं अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आपसे अनुरोध है कि आयुक्त, मण्डल, गया-सह-अध्यक्ष, शुल्क विनियमन समिति के ज्ञापांक 735 दिनांक 31.05.2022 की छायाप्रति अपने क्षेत्राधीन के सभी निजी विद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए निजी विद्यालय का नाम, पता, प्राचार्य का नाम, एवं मोबाइल नम्बर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,  
मंगढ़ प्रमुखलघुधर्मी  
२५/६/२२

बिहार शिक्षा परियोजना, गया।

ज्ञापांक १८३६

गया/दिनांक २७.०६.२२

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक, (उ० एवं द०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, प्रबंधक, निजी विद्यालय को सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आवश्यक अनुवर्ती कार्यार्थ प्रेषित।

सभाग प्रभारी  
२५.६.२२

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रा. शि. एवं स० शिक्षा अभियान, गया।

३